भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-117
सोमवार, 04 फरवरी, 2019/15 माघ, 1940 (शक)

रोजगार के अवसर

117. श्री पी॰ के॰ बिजूः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा गत चार वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सृजित किए गए रोजगार के अवसरों की संख्या का वर्ष-वार और क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) गत चार वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में बेरोजगार लोगों की संख्या का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या ऐसे लोगों की संख्या में प्रत्येक वर्ष वृद्धि हो रही है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और
(ङ) क्या सरकार ने देश में बढ़ती बेरोजगारी को नियंत्रित करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ङ): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार इस दिशा में पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। इन प्रमुख योजनाओं के माध्यम से सृजित किए गए रोजगार के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

	सृजित रोजगार			
योजनाएं/वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
पीएमईजीपी के तहत सृजित अनुमानित रोजगार (व्यक्ति लाख में)	3.23	4.08	3.87	2.85 (30.11.18 तक)
एमजीएनआरईजीएस के तहत सृजित मानव दिवस (करोड़ में)	235.14	235.65	234.22	163.22 (30/11/18 तक)
डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत प्रशिक्षण के उपरांत नियोजित अभ्यर्थी (लाख में)	1.09	1.48	0.76	0.96 (03.12.18 तक)
डीएवाई-एनयूएलएम के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षित व्यक्तियों का नियोजन (लाख में)	3.37	1.52	1.15	0.95 (05/12/18 तक)

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत लघु/सूक्ष्म व्यापरिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 25 जनवरी, 2019 तक कुल 15.59 करोड़ ऋण संस्वीकृत किए गए हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) आरंभ की गई है। इस योजना के तहत, सरकार सभी क्षेत्रों के समस्त पात्र नए कर्मचारियों हेतु तीन वर्षों के लिए ईपीएफ एवं ईपीएस के नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान (12% अथवा यथा-स्वीकार्य) का भुगतान कर रही है। 21.01.2019 तक, इस योजना के अंतर्गत 1.28 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 1.04 करोड़ से अधिक कर्मचारियों को लाभांवित किया गया है।

श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार-बेरोजगारी पर आयोजित सर्वेक्षणों के उपलब्ध परिणामों के अनुसार, देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों हेतु सामान्य स्थिति आधार पर अनुमानित बेरोजगारी दर 2012-13, 2013-14 और 2015-16 के दौरान क्रमशः 4.0%, 3.4% और 3.7% थी।

*****